Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commision set up under Art 338A of the Constitution of India)

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली –110003
6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003

File No. MCU/1/2017/STGMH/ATMURD/RU-IV

Dated 05-01-2018

To

1. The Chief Secretary,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

2. The Secretary,
Forest Department,
Government of Maharashtra,
Mumbai

3. The Secretary,
Tribal Welfare Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

Sub: Suspicious death of Shri Mahadev Uikey, Village- Dhavalapur, Post- Navegaon Khairi, Tehsil- Parshivani District- Nagpur, (Maharashtra) - Tour Report of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Nagpur State from 29.08.2017 to 30.08.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose copy of Tour Report of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Nagpur State from 29.08.2017 to 30.08.2017 regarding suspicious death of Shri Mahadev Uikey, Village- Dhavalapur, Post- Navegaon Khairi, Tehsil- Parshivani, District- Nagpur, (Maharashtra) for necessary action.

It is requested that action taken/to be taken in the matter may be sent to the Commission within 30 days from receipt of this letter for placing before the Commission.

Yours faithfully,

-Sd-
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

232-37
8/1/18

Copy for information to:-

1. The District Collector,
District – Nagpur,
(Maharashtra)

2. The Superintendent of Police,
District- Nagpur,
(Maharashtra)

D.S. Kumbhare 5.1.2018
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

(CONTD-2)

Copy for necessary action to:

Research Officer,
Regional Office,
National Commission for Scheduled Tribes,
Room No. 309,
Nirman Sadan CGO Building,
52-A, Arera Hills,
Bhopal- 462011 (A copy of the Annexure IV as mentioned in the Draft Report be sent to the Headquarters immediately).

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल)

मुख्यालय, नई दिल्ली

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.08.2017 तथा 30.08.2017 को नागपूर (महाराष्ट्र) में एक अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की संदेहास्पद मृत्यु की मौका जांच, की रिपोर्ट ।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.08.2017 तथा 30.08.2017 को जिला नागपूर के गांव धवलापुर, तहसील पारसिवनी के निवासी स्व. महादेव चेतराम उइके की संदेहास्पद मृत्यु की मौका जांच हेतु पहुंची। माननीया सदस्य, श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, के साथ दल में श्री संतोष शुक्ला, कंस्लटेन्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली तथा सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल भी सम्मिलित थीं।

घटना की पृष्ठभूमि–

दिनांक 24.06.2017 को पेंच, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना के द्वारा ज्ञात हुआ कि दो लोग तीन बाघों की हड्डियां तथा उसके अन्य अवशेष लेकर वन से बाहर जा रहे हैं। वन क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा चौकसी के दौरान रात में दो लोगों को मोटर साइकिल पर सवार, दो थैलों के साथ पकड़ा गया। ये दोनों लोग दो थैलों में तीन बाघों की हड्डियां लेकर जा रहे थे। दो थैलों से प्राप्त बाघ की हड्डियां और अवशेष प्राप्त होने पर वन अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया तथा पूछताछ की। अभियुक्त राजाराम से की गई पूछताछ में 17 लोगों के नाम सामने आये। दिनांक 14.08.2017 को भोजराज धुर्वे, रोशन नेताम, निवासी कोलितमाला तथा महादेव चेतराम उइके, उम्र 49 वर्ष, निवासी धवलापुर, तहसील पारसिवनी को गिरफ्तार किया गया।

मृतक महादेव चेतराम उइके से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के अधिकारी उन्हें दिनांक 17.08.2017 को तलाशी हेतु उसे घर लेकर आये। वन विभाग द्वारा रिकॉर्ड किये गये कथन पत्र के अनुसार महादेव चेतराम उइके के पास बाघ की मूछें थीं। किन्तु महादेव उइके तथा सर्च दल को घर से बाघ की मूंछें या कोई अन्य अवशेष प्राप्त नहीं हुए।

दिनांक 17.08.2017 तथा 18.08.2017 की मध्य रात्रि में महादेव उइके एसटीपीएफ की गिरफ्त से फरार हो गया। श्री पांडुरंग पाखले, रेंजर पेंच के द्वारा दिनांक 18.08.2017 को थाना देवलापार, जिला नागपुर ग्रामीण में शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज की गई (संलग्न क्र–1)। दिनांक 19.08.2017 को रामटेक न्यायालय में भोजराज धुर्वे, तथा रोशन नेताम का चालान पेश किया गया एवं उन्हें पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। किन्तु महादेव उइके के फरार हो जाने के कारण उसकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वन विभाग द्वारा उइके के परिवार जनों से लगातार सम्पर्क रखा गया तथा उन्हें समझाइश दी गई कि यदि उइके परिवार से सम्पर्क करता है तो उन्हें अवश्य बताया जाय। अन्य अरोपियों के विरूद्ध चार्जशीट दायर की गई। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में है।

मुख्य घटना–

दिनांक 26.08.2017 को गांव धवलापुर से दो किलोमीटर दूर गांव नराल के निकट सड़क के किनारे लगभग दोपहर 12 बजे भीमराव कुवाची, निवासी धवलापुर ने महादेव उइके का शव देखा। उसने गांव में आकर महादेव उइके के परिवारजनों को सूचना दी। परिवारजनों ने थाना, पारसिवनी में सूचना दी। परिवारजनों एवं गांववासियों ने बताया कि शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उस स्थान पर लाकर रखा गया है। शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान अथवा जख्म नहीं थे तथा शव में बदबू नहीं थी। भीमराव कुवाची ने यह भी बताया कि 25.08.2017 की शाम को वह इसी रास्ते से अपने गांव आया था तब तक उस स्थान पर शव नहीं था। शव के पैर सड़क की ओर थे तथा सिर खेत की ओर था। उसके कपड़ों पर किसी प्रकार का कीचड़, मिट्टी अथवा अन्य चीज का निषान नहीं था। उसका एक जूता पेट पर रखा था तथा दूसरा उसी के पास रखा गया था।

पुलिस द्वारा तुरंत ही शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। विसरा की जांच हेतु उसे भेजा गया है जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पुलिस द्वारा घटना की जांच की कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। वर्तमान में पुलिस द्वारा ''दुर्घटना मृत्यु'' की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

आयोग द्वारा की गई जांच–

(प) **मृतक के परिवारजनों तथा गांववासियों से ली गई जानकारी–** श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली तथा जांच दल में सम्मिलित श्री संतोष शुक्ला, कंस्लटेन्ट, सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी दिनांक 29.08.2017 को महादेव उइके के गांव धवलापुर पहुंचें। उनके साथ वन विभाग के श्री ऋषिकेश रजंन, मुख्य वन संरक्षक पेंच, श्रीमती गीता ननावरे, सहायक वन संरक्षक पेंच जो इस प्रकरण की जांच अधिकारी भी हैं, श्री अरूण त्रिपाठी, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना पारसिवनी, श्री नयन काम्बले, सहायक प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, नागपुर तथा श्री महावीर उइके, पटवारी थे। श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने मृतक के परिवारजनों से भेंट की। मृतक महादेव उइके की दो पत्नियां हैं श्रीमती राधाबाई महादेव उइके तथा उषाबाई महादेव उइके। दोनों पत्नियों से चार पुत्र तथा दो पुत्रियां है। सभी संताने अविवाहित हैं। मृतक महादेव उइके तथा उनके परिवारजन का रोजी–रोटी का साधन मजदूरी है। चारो पुत्र गुजरात राज्य के भरूच जिले में मजदूरी हेतु जाते है। घटना के समय भी सभी पुत्र भरूच में ही थे। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर गांव लौटे थे। मृतक के ममेरे भाई श्री मुरेशवर मर्सकोले ने बताया कि मृतक के परिवार के पास भूमि नहीं है। माननीया सदस्य, ने परिवारजनों से घटना के बारे में पूछा। मृतक की पत्नि उशा महादेव उइके ने बताया कि दिनांक 14.08.2017 को वन अधिकारी उन्हें घर से लेकर गये। दिनांक 17.08.2017 को वन अधिकारी रेंजर श्री नितेश गावंडे घर लेकर आये। सर्च दल द्वारा उनके घर की तलाशी ली। घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। दिनांक 19.08.2017 को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना था। हम लोग कोर्ट में पहुंचे लेकिन महादेव उइके वहां नही पहुंचे। उनकी पत्नि ने महादेव उइके के बारे में पुलिस से पूछताछ की तब पता चला कि वे दिनांक 18.08.2017 को फरार हो गये हैं। उससे पहले उन्हें फरारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा अपने सभी रिष्तेदारों के यहां खबर पहुंचाई किन्तु कोई समाचार नहीं मिला। दिनांक 26.08.2017 को दोपहर उनकी लाश खेत के किनारे पड़ी मिली।

श्रीमती इवनाते
Smt. Maya Chintaman Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

माननीया सदस्य ने यह भी पूछा की इसके पूर्व क्या उनके विरूद्ध वन विभाग द्वारा कोई प्रकरण दर्ज था, या उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। परिवारजनों ने बताया कि उनके ऊपर आज तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उनका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं हैं।

इसके बाद श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, जांच दल तथा महाराष्ट्र राज्य शासन के अधिकारियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मृतक की शव मिला था। मृतक के निवास गॉव धवलापुर से लगभग दो किलोमीटर दूर गांव नराल के निकट, एक मंदिर के पास सड़क के किनारे शव को दोपहर 12 बजे भीमराव कुवाची ने देखा था। भीमराव कुवाची जो मृतक के गांव के निवासी हैं अपनी साइकिल पर किसी कार्य से उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मृतक महादेव उइके को सड़क के किनारे लेटे देखा। तत्पश्चात उन्होंने गांव में आकर परिवारजनों को बताया।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मृतक के परिवार तथा गांववासियों से चर्चा।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मृतक के घर में उनकी पत्नियों तथा पुत्रों से चर्चा।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने मृतक के षव मिलने के स्थान का अवलोकन किया।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Schaduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(ii) वन विभाग के अधिकारियों द्वारा घटना के संबंध में ली गई जानकारी– माननीया सदस्य इस स्थान से सीधे पेंच बाघ संरक्षण, सिलारी अमलतास, तहसील रामटेक, जिला नागपुर पहुंची, जहां मृतक को उनके दो साथियों के साथ बंदी बनाकर रखा गया था। यह स्थान मृतक के गांव धवलापुर, तहसील पारशिवनी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वन विभाग के अधिकारी श्री ऋषिकेश रंजन, मुख्य वन संरक्षक, पेंच ने माननीया सदस्य को बताया कि हमारे यहां गिरफ्तार किये गये आपराधियों को रखने के लिये लॉकअप जैसी व्यवस्था नही है, हम लोग आरोपियों को पूछताछ के लिये पेंच विभाग संरक्षण में टूरिस्ट के लिये बने कमरों में ही रखते हैं। उन्होंने वह कमरा भी दिखाया जहां महादेव उइके, भोजराज तथा रोशन नेताम को रखा गया था।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली, मृतक महादेव उइके के फरार होने के स्थल को देखते हुए।

उन्होंने यह भी बताया कि वन विभाग द्वारा आपराधियों की निगरानी हेतु एसटीपीएफ श्री ए.बी. वासने, श्री के. आर. राउत तथा श्री ए.आई. सहारे की ड्यूटी लगाई गयी थी। श्री ऋषिकेश रंजन, मुख्य वन संरक्षक, पेंच ने बाघ संरक्षण, सिलारी अमलतास, तहसील रामटेक, के मिटिंग हॉल में माननीया सदस्य को वन संरक्षक पेंच की संक्षिप्त जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी।

श्रीमती गीता ननावरे, सहायक वन संरक्षक, पेंच ने घटना की पूर्ण जानकारी दी–

- दिनांक 24.06.2017 को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दो लोगों को तीन बाघ की हड्डियों तथा बाघों के अन्य अवषेषों के साथ पकड़ा गया।
- गिरफ्तार दो लोगों के बयानों पर 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया हैं, जिसमें से 9 आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। दिनांक 14.08.2017 को भोजराज जिवत्या धुर्वे, आयु 24 वर्ष, तथा रोशन फुलचंद नैताम, आयु 25 वर्ष, निवासी कोलीतमारा तहसील पारशिवनी तथा महादेव चैतराम उइके, आयु 49 वर्ष, निवासी धवलापुर तहसील पारशिवनी को गिरफ्तार किया गया।
- श्री पांडूरंग शिवाजी पाखले, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पवनी (एकसंघ नियंत्रण) ने माननीय न्याय दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी रामटेक, न्यायलय रामटेक को एफ.सी.आर. प्रस्तुत किया (संलग्नक क्रमांक–2)।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

- माननीय न्याय दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी रामटेक, न्यायलय रामटेक ने वन अपराध क्रमांक 67/1, के अंतर्गत तीनों अभियुक्तों को दिनांक 19.08.2017 तक वन विभाग की हिरासत में रखने हेतु आज्ञा प्रदान की (संलग्नक क्रमांक–3)।
- महादेव उइके से पुछताछ के दौरान बाघ को मारने की घटना में स्वयं के संलिप्त होने को माना तथा अपने पास बाघ की मूंछें होने को स्वीकारा। श्री नितेष गावंडे, रेंजर (वन परिक्षेत्र अधिकारी), पवनी उन्हें दिनांक 17.08.2017 को उनके घर धवलापुर लेकर गये तथा घर की तलाषी ली। तलाशी के दौरान उनके घर से बाघ के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुये। आरोपी रोशन नेताम के घर से बाघ के षव को काटने वाला हथियार चौपर तथा बाघ के अवशेष प्राप्त हुये।
- महादेव उइके को डायबिटीज़ की बीमारी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की प्रति 48 घंटों के पश्चात् मेडीकल जांच किया जाता है। जिसमें ज्ञात हुआ की वे डायबिटीक हैं। इस बीमारी के कारण रात में उन्हें बार–बार पेशाब के लिये जाना होता था। दिनांक 17–18.08.2017 की मध्य रात्रि में महादेव उइके ने अपने इसी बीमारी के कारण एसटीपीएफ से हथकड़ी खोलने को कहा। हथकड़ी खुली होने कारण आरोपी महादेव उइके फरार हो गया।
- प्रातः जब एसटीपीएफ दल को ज्ञात हुआ कि महादेव उइके गिरफ्तारी से फरार गया है तो पहले उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई। नहीं मिलने पर उसी दिन दिनांक 18.08.2017 थाना देवलापुर में उनकी फरारी की रिपोर्ट लिखवाई गई (संलग्न क्रमांक–4)।
- दिनांक 19.08.2017 को अन्य दो अभियुक्तों की चार्जषीट के पश्चात् मान्नीय न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया।
- महादेव उइके की फरारी के पश्चात् रेलवे स्टेशन से लेकर अन्य स्थानों तक उनकी फोटो सहित, पोस्टर लगाये गये एवं उनके घर वालों को भी समझाइश दी गई कि यदि वे परिवारजनों से किसी भी माध्यम द्वारा संपर्क करते हैं तो उन्हें तुरंत बताऐं।
- वन विभाग द्वारा आरोपियों कि सुरक्षा हेतु एसटीपीएफ दल के श्री ए.बी. वासने, श्री के.आर. राउत तथा श्री ए.आई. सहारे को निलंबित किया गया।
- वन अधिकारी ने बताया कि महादेव उइके डायबिटीक था। संभवतः उसकी मृत्यु का कारण फरारी में खाने के लिए भोजन नहीं मिलना भी हो सकता है।

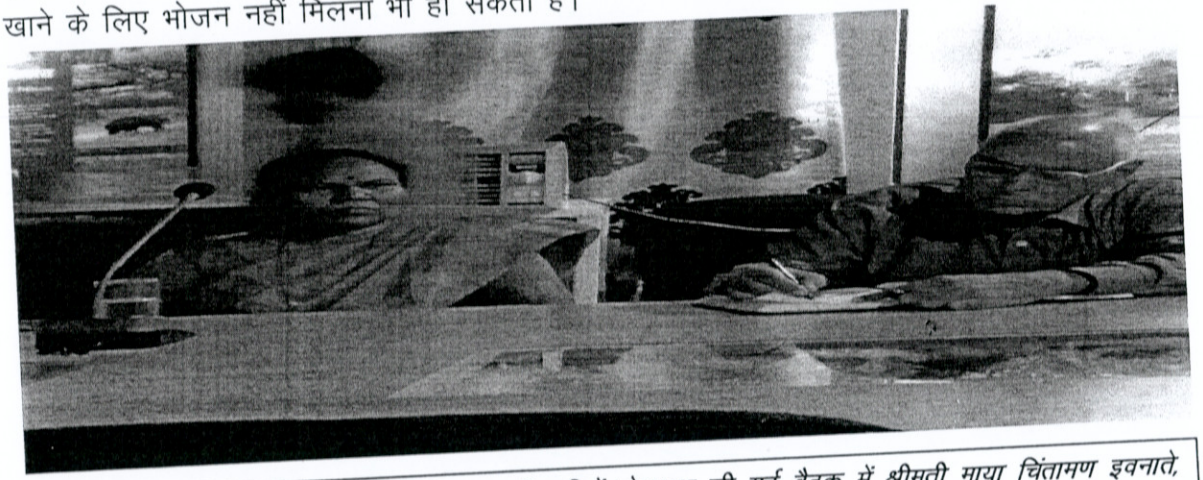

पेंच बाघ संरक्षण, सिलारी अमलतास में वन अधिकारियों के साथ ली गई बैठक में श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(iii) पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी–

दिनांक 30.08.2017 को माननीया सदस्य के साथ श्री लोहित मतानी, पुलिस अधीक्षक, नागपुर की बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक, नागपूर ने प्रकरण के संबंध में माननीया सदस्य को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि–

- पुलिस विभाग महादेव उइके के दिनांक 17–18.08.2017 की मध्य रात्रि से दिनांक 26.08.2017 (शव मिलने की दिनांक) तक के बीच लगभग 8 दिनों के मध्य कहां रहा इस पर फोकस कर रहें है।
- वन विभाग द्वार चौकसी हेतु कुछ पेड़ों पर कैमरे लगाये जाते हैं। इन कैमरों के द्वारा महादेव उइके के आवगमन की जानकारी ली जा रही है।
- उन्होंने माननीया सदस्य को यह भी बताया कि महादेव उइके के शव पोस्टमार्टम होने पर डॉक्टर द्वारा 90 प्रतिशत जहर खाने की संभावना बतायी है। विसरा की जांच आने पर ही आगे की तफतीश की जायेगी।
- पुलिस अधीक्षक नागपूर ने यह भी बताया कि महादेव उइके घर में बाघ की मूंछें नहीं मिलने के कारण परेशान था, ऐसा उसके साथ गिरफ्तार भोजराज तथा रोशन नैताम से ज्ञात हुआ है।

दिनांक 30.08.2017 को रवि भवन में श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली, वन अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों के साथ बैठक लेते हए।

महादेव उइके की संदेहस्पद मृत्यु पर आयोग द्वारा की गई जांच से प्राप्त मुख्य तथ्य–

- महादेव उइके के घर से मरे हुए बाघों का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ।
- महादेव उइके को गिरफ्तार करने के पश्चात् और मेडिकल जांच में उनके डायबिटीक बीमारी होने की पुष्टि के बाद भी उन्हें क्यों नहीं विशेष सुरक्षा दल के साथ रखा गया?

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

- मृतक महादेव उइके दिनांक 17–18.08.2017 की मध्य रात्रि से गायब होकर कहां रहा? यहां विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि धवलापुर और मृतक के ससुराल के बीच यह शव मिला। यदि मृतक महादेव उइके को अचानक कोई शारीरिक बीमारी हुई होती तो वह अपने ससुराल के गांव में छिपकर जा सकता था अथवा मंदिर में जा सकता था।
- महादेव उइके के शव को देखने वाले पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी एवं ग्रामवासियों की यह राय थी कि संभवतः उसकी मृत्यु उस स्थान पर नहीं हुई है बल्कि उसे मृत्यु उपरांत ला कर रखा गया है। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि उसकी मृत्यु कहां हुई और उसके शव को उस स्थान पर किसके द्वारा रखा गया?
- महादेव उइके की आयु 49 वर्ष थी। उसके चार पुत्र भरूच गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं जहां की मजदूरी दर महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदश राज्य से अधिक है। उसकी दोनों पत्नियां और दो पुत्रियां भी मजदूरी करती हैं। घर की परिस्थियां ग्रामीण वातावरण के अनुसार हैं जिसमें अपराधिक प्रवृत्ति, अनुभव नहीं होती। यदि वे पूर्व से ही वन परिक्षेत्र में वन अपराधों में लिप्त होता तो उसके विरूद्ध अब तक कोई प्रकरण अवश्य दर्ज होता।
- महादेव उइके का परिवार कई पीढ़ियों से इसी गांव में रह रहा है। गांव के अन्य लोग और उसके रिश्तेदार भी यह मानने से इनकार कर रहें है कि बाघों को मारने में सहयोग दिया।

आयोग द्वारा मृतक के परिवार को शासकीय योजनाओं का लाभ दिये जाने की अनुशंसा–

दिनांक 30.08.2017 को माननीया सदस्य श्रीमती माया चिंतामण इवनाते के प्रवास कार्यक्रम के अनुसार उन्हें कलेक्टर नागपूर तथा पुलिस अधीक्षक नागपूर के साथ बैठक लेनी थी, जिसमें मृतक महादेव उइके की संदिग्ध मृत्यु पर पुलिस द्वारा की गई तथा प्रस्तावित कार्यवाई की जानकारी लेना तथा कलेक्टर नागपूर से मृतक के परिवार को शासकीय योजनाओं के अतंर्गत दी जा सकने वाले लाभों पर विचार कर निर्णय लिया जाना था। किन्तु कलेक्टर महोदय द्वारा अपने अन्य प्रशासकीय कार्यों के कारण बैठक रखी जाने में असमर्थता व्यक्त की। कलेक्टर नागपूर के साथ मिटिंग ना होने की दशा में माननीया सदस्य श्रीमती माया चिंतामण इवनाते ने श्री ए. के. मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, श्री रामबाबू सहायक प्रमुख वन संरक्षक, श्री ऋषिकेश रंजन, मुख्य वन संरक्षक, पेंच, श्रीमती गीता ननावरे, सहायक वन संरक्षक पेंच, श्री दिगाम्बर चौहान, प्रकल्प अधिकारी, श्री नयन काम्बले, सहायक प्रकल्प अधिकारी, अनुसूचित जनजाति विकास नागपूर के साथ बैठक ली। बैठक में पीड़ित परिवार को लाभांवित करने हेतु महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं पर विचार किया गया। जो निम्नानुसार हैं–

- मृतक के पुत्रों ने बताया कि उनकी कृषि भूमि से उनका कब्जा ले लिया गया है। यदि भूमि का कब्जा उन्हें प्राप्त हो जाता है तो वे अपनी कृषि भूमि पर खेती कर सकेंगे। वन अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि पेंच क्षेत्र के 73 प्रकरण वन अधिकार अधिनियम के अतंर्गत, स्वीकार किये गये हैं। 125 प्रकरण एडवांस स्तर पर है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस परिवार की भूमि ''कोर एरिया'' में होगी तो उन्हें इसका लाभ नियमों के अनुसार नहीं दिया जा सकेगा किन्तु यदि बफर एरिया में होगी तो कृषि भूमि प्रकरण पर विचार किया जा सकता है। माननीया सदस्य ने वन अधिकारियों से यह भी कहा कि पेंच वन संरक्षण के अतंर्गत आने वाले गांव की कृषि भूमि के प्रकरण जल्द ही निपटाये जाएं ताकि उनके जीविकोपार्जन की समस्यायें कम हो। (कार्रवाई वन विभाग द्वारा)

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

- वन अधिकारियों ने यह बताया कि उनके द्वारा जीविकोपार्जन कार्यक्रम (लाइवलिहुड प्रोग्राम) के अतंर्गत गांव वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें पेंच के ''लोगो'' को टी–शर्ट पर छापने के लिये 50 रुपये प्रति टी–शर्ट दिया जाता है। मृतक की पुत्रियां यदि चाहे तो वे ये कार्य कर सकती हैं। (कार्रवाई वन विभाग)
- पेंच अभ्यारण में टूरिस्ट हेतु hospitality industry में भी लड़कों को कार्य दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वन्यजीव संरक्षण कैंम्प में भी कार्य दिये जा सकते है।(कार्रवाई वन विभाग)
- प्रकल्प अधिकारी श्री चौहान से माननीया सदस्य ने राज्य योजनाओं के अंतर्गत पीड़ित परिवार को लाभांवित करने हेतु जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि बैटरी चलित ई–रिक्शा, पीड़ित परिवार के पुत्र को दिया जा सकता है, जिसमें 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में 7,500 रुपये आवेदक को स्वयं देने होते हैं। (कार्रवाई कलेक्टर नागपूर)
- मृतक की अविवाहित पुत्रियों के विवाह हेतु महाराष्ट्र राज्य शासन की योजनाओं में अनुदान का लाभ दिया जाये।यदि वे सिलाई हेतु सिलाई मशीन चाहती हैं तो उन्हें इस योजना से लाभांवित किया जाए। (कार्रवाई कलेक्टर नागपूर)
- मृतक के परिवार को घरकुल योजना के अंतर्गत पक्का घर बनाने के लिये राशि स्वीकृत की जाए। (कार्रवाई कलेक्टर नागपूर)

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह परिणाम सामने आया है कि महादेव उइके की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। अभी तक वन तथा पुलिस विभाग द्वारा आयोग को घटना से संबंधित चाहे गये दस्तावेज जैसे–मृतक महादेव उइके की मृत्यु की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि, चार्जशीट की प्रतिलिपि, उइके के कथन की प्रतिलिपि तथा वन एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक की गई जांच की अद्यतन जानकारी नहीं दी गई हैं। मृतक महादेव उइके की संदिग्ध मृत्यु को ध्यान में रखते हुये आयोग महाराष्ट्र शासन से यह अपेक्षा करता है कि प्रकरण को सीआईडी विभाग को सौंप दिया जाये ताकि महादेव उइके के मृत्यु की कारणों की निश्पक्ष जांच हो तथा सही तथ्य प्रकाश में आ सके, और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): नागपुर ग्रामीण   P.S. (थाना): देवलापार   Year (वर्ष): 2017
   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0152   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और   18/08/2017 17:35 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	224

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): शुक्रवार   Date From (दिनांक से): 18/08/2017   Date To (दिनांक तक): 18/08/2017
   Time Period (समय अवधि): पहर 1   Time From (समय से): 03:00 बजे   Time To (समय तक): 03:30 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त Date (दिनांक): 18/08/2017   Time (समय): 17:09 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा   Entry No. (प्रविष्टि 015   Date & Time (दिनांक और समय) 18/08/2017 17:09 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा) पश्चिम, 16 किमी   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): श्रीवारी अमलतास ,रामटेक
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (जिला

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): पांडुरंग शिवाजी पाखले
   (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती का नाम) :
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं०):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट   Date of Issue (जारी करने की
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1	इतर	000000

   (h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	पिपरीया फॉरेस्ट कॉलोनी,रामटेक ,देवलापार,नागपुर ग्रामीण,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	पिपरीया फॉरेस्ट कॉलोनी,रामटेक ,देवलापार,नागपुर ग्रामीण,महाराष्ट्र,भारत

   (i) Occupation (व्यवसाय): नोकरी
   (j) Phone number (दूरभाष सं.):   Mobile (मोबाइल सं.): 91-9822223859

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो

S.No.(क्र.	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का	Present Address (वर्तमान पता)
1	महादेव देवराम उईके			1. धवलापुर ,तह पारशीवनी,देवलापार,नागपुर ग्रामीण, महाराष्ट्र,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.स.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
हकीकत अशा प्रकारे आहे की यातील घटना ता. वेळी व ठीकाणी पवनी वनपरीक्षेत्र (एक संघ नियंत्रन) मधील वन गुन्हा क्र.67/01 कलम 9,11,27,39,48,49,51,52. गुन्हात वनकोठडी अमलतास रुम न. 208मध्ये दि. 19/8/2017पर्यंत मा J.M.F.C.कोर्ट रामटेक यांच्या आदेशान्वये वनकोठडीत असलेला आरोपी नामे महादेव चेतराम उईके वय 49 वर्ष रा. धवलापुर तह. पारशीवनी जिल्हा नागपूर हा दिनांक 17/8/2017 चे रात्री 03/30 वा. पुर्वी पाहा-यावरील वनरक्षकाच्या नजरा चुकवुन अंधाराचा फायदा घेत कायदेशीर रखवालीतुन पळुन गेल्याचा फीर्यादीचा लेखी तक्रारीवरुन सदरचा गुन्हा नोंद करुन तपासात घेतला तपासी अधीकारी ASI /1237विष्णु जगनीत यांची ईमेल आयडी नसल्याने मनापोशी 712 यांची ईमेल आयडी वर नोंद घेन्यात येते

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत हैं |) or

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): VANDNA SHITARAM Rank (पद): HC (Head Constable)
No.(सं.): POBN77577 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

(P.S. Pakhale)
RFO, Pauni(UC)
Range Forest Officer
Pauni (Unified Control)
Wildlife - PTR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VISHAL VILAS PATIL
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):12401000362VVPM8301P

hment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

cal features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
/ अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि /	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से०मी०))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
	पुरुष					चेचक के दाग: NO

ormities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोडेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

hese fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

सहपत्रक – (२)

एफ.सी.आर.

विषयः– एफ.सी.आर. मिळण्याबाबत
जावक / क्रमांक /674/-व.प.अ.पवनी(ए.नि.)
पवनी / दि. 14 /8/ 2017

प्रति,

मा. न्या.दंडाधिकारी साहेब
प्रथम श्रेणी रामटेक
न्यायालय रामटेक

1) वन अपराध क्रमांक व दिनांक :–67 / 1 , दि.26 / 06 / 2017.

2) चौकशी अधिकाऱ्याचे नाव व हुददा :– 1)श्री.पी.एस .पाखले ,वनपरिक्षेत्र अधिकारी पवनी (एकसंघ नियंत्रण)
3) आरोपीचे नाव व पत्ता :– 01) भोजराज जिवत्या धुर्वे, वयः– 24 वर्ष रा. कोलीतमारा ता. पारशिवनी.
02) रोशन फुलचंद नैताम, वय :– 25 वर्ष कोलीतमारा ता. पारशिवनी.
03) महादेव चैतराम उईके वय :– 49 वर्ष रा. ढवलापुर रा.कोलीतमारा ता. पारशिवनी.
4) अपराधाचे ठिकाण व वेळ :– वनखंड क.524 पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर महाराष्ट्र.
5) गुन्हाची तारीख :–26 / 06 / 2017 .
6) गुन्हा नोंद करण्याची तारीख :– 26 / 06 / 2017
7) आरोपीस अटक केल्याचा दिनांक व वेळ :–आरोपी क. 01 ला दि. 14 / 08 / 2017 ला 12:45 वा.
आरोपी क. 02 ला दि. 14 / 08 / 2017 ला 12:45 वा.
आरोपी क. 03 ला दि. 14 / 08 / 2017 ला 12:30 वा.
8) अपराधाचे कलम :–वन्यजिव (संरक्षण) अधिनियम 1972 चे कलम 9, 27 39 (D) , 48 (A) , 49 (B), 51 , 52
9) एफ. सी. आर पाहीजे :– दि. 14 / 08 / 2017 ते दि. 24 / 08 / 2017.

महोदय,

गुप्त माहीतीवरून कारवाई केली असता दि. 26 / 06 / 2017 रोजी वाघांचे अवयव घेऊन जाताना दोन इसमांना अटक करण्यात आलेली होती .पंचनामा नोंदविला असता आरोपींनी वाघ मारल्याची जागा गराडा येथिल जंगलात दाखविली असता त्या ठिकाणापासुन वाघाची , हाडे, नखे इ. अवयव मिळाले. पुढिल तपासात पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील वनखंड क. 524 मध्ये आणखी एका वाघाची शिकार झाल्याचे आढळुन आले. वाघांच्या चामडयाचा भाग, हाडे ,नखे, दात ,इ अवयव जप्त केले. सदर प्रकरणात आरोपी नामे राजाराम बकाराम कोडवते रा. सुरेरा (कोलीतमारा) याचेकडुन वन्यप्राणी वाघाच्या 77 मिशा जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. सदरच्या मिशा त्याने पश्चिम पेंच वनपरीक्षेत्रातील गवळीघाट येथे माहे फेब्रुवारी 2017 मध्ये मृत वाघाच्या असल्याचे सांगीतलेले आहे. तसेच आरोपी नामे राजीराम बकाराम कोडवते ला अटक करण्यात आलेला आरोपी क. 03 याचेसोबत मिळुन अघोरी विद्या व तस्करीसाठी वापरण्यात असल्याचे तपासात निष्पन्न होत आहे. करीता सदर वनगुन्ह्याचा खालील मुददयांवर तपास करणे बाकी आहे.

आरोपी क्र. 01 व 02

01) आरोपींनी पश्चिम पेंच वनपरीक्षेत्रात वाघाची शिकार कुठे केली आहे ?

02) शिकार केलेल्या वाघाचे कोणकोणते अवयव काढलेले आहेत व त्याची विल्हेवाट कशी लावलेली आहे ?

03) या गुन्ह्यात कोणते हत्यार वापरले आहेत ?

04) सदर आरोपीसोबत आणखी किती व्यक्तींचा समावेश आहे ? याचा तपास करणे बाकी आहे.

आरोपी क्र. 03

01) सदर आरोपी हा आंतरराज्यीय तस्करीशी संबंधित असून याबाबत त्याचे कोणाकोणासोबत व्यवहार झालेले आहेत ?

02) सदर आरोपीचा अटकेतील आरोपी नामे राजाराम बकाराम कोडवते याचा आर्थिक व्यवहार, तस्करीबाबत किंवा संबंध आहे ?

03) आरोपीने आतापर्यंत वन्यप्राणी वाघाचे व इतर वन्यप्राण्यांचे अवयवांची तस्करीचे जाळे कोठेकोठे प्रस्थापित केलेले आहेत ?

04) सदर आरोपीचे आंतरराज्यीयच तस्करीशी संबंध आहे किंवा आंतरराष्ट्रीय तस्करीशी सुध्दा संबंध आहे याचा तपास करणे बाकी आहे.

करीता मा.विध्यमान न्यायालयास विनंती आहे की, गुन्ह्याच्या तपासाकरीता या आरोपींचा मध्य प्रदेश राज्यातील आरोपींशी संबंध असल्याने तसेच पावसाळा असल्याने तपासामध्ये व्यत्यय निर्माण होत असल्याने आरोपी दि. 14/08/2017 ते 24/08/2017 पर्यंत वन कोठडी देण्यात यावी ही विनंती.

ठिकाण - रामटेक.

दिनांक - 14/08/2017.

(पी.एस.पाखले)
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
पवनी (एकसंघ नियंत्रण)

संलग्नक - (3)

Forest Crime No. 67/1
State Vs. Suklya & others.
U/s 9, 11,27,39(D)48(A)49(B) 51
of the wildlife Protection Act 1972

ORDER BELOW F.C.R. APPLICATION DATED 14-08-2017

1. Accused Bhojraj Jiwatya Dhurve, Roshan Fulchand Naitam and Mahadeo Chaitram Uike are produced before me at 05-45 p.m. by the Range Forest Officer P.S. Takhle, Forest office Pawani. They have no complaint of ill treatment at the hands of Range Forest Officer The compliance of arrest is over.

2. Heard, I.O., learned A.P.P. Smt. V.P. Thote for the state. No representation on behalf of the accused. I asked them as to whether they want to engage counsel through legal aid. They answered in negative. They stated that they will engage counsel on next date

3. Perused the F.C.R. papers and case diary. It shows that the information against the accused is well founded. The alleged offences are non-bailable and against wild animal – Tiger. The grounds mentioned in the F.C.R. application are sufficient grounds to grant the forest custody of the accused. Hence, I pass the following order.

ORDER

1) The accused persons are remanded into Forest Custody till 19-08-2017.
2) Copy of this order be sent to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Nagpur.
3) Case diary be returned to the Investigation Officer.

Ramtek.
Dt. 14-08-2017.

(M.S. Banchare)
J.M.F.C. Ramtek.